



राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

क्रमांक:- एफ 20(6)(18)निमअ/बजट/2018-19/

अति आवश्यक
जयपुर, दिनांक:-

1. सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता,
सीकर, अलवर, बून्दी, धौलपुर, कोटा, झालावाड, बारां, जोधपुर, बाडमेर, प्रतापगढ़, करौली,
जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर।
2. सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य महिला आयोग।

विषय :- आगामी वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक अनुमान तथा चालू
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।
प्रसंग:- पूर्व पत्र क्रमांक 96395 -429 दिनांक 12.09.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2019-20
के आय-व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों के प्रपत्र 1 से 13 की
सूचना निर्धारित प्रपत्रों में तैयार कर HARD COPY निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से
कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/संबंधित डीलिंग कर्मी के साथ व्यक्तिशः
भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अत्यन्त खेद का विषय है कि आपके कार्यालय की बी.एफ.सी सम्बन्धी अतिआवश्यक
सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना
दिनांक 08.10.2018 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित
करावे। उक्त सूचना के अभाव में बजट प्रस्तावों में होने वाली कमी का पूर्ण उत्तरदायित्व
आपका होगा।

वित्तीय सलाहकार
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर
जयपुर, दिनांक:-

क्रमांक:- एफ 20(6)(18)निमअ/बजट/2018-19/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता।
2. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
महिला अधिकारिता
राज0, जयपुर